न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 65/16 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2016/00257

उनवान

1. प्रभू पुत्र श्री रामदीन उम्र करीब 35 वर्ष जाति जाटव निवासी ग्राम किरारपुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर। .....अपीलांट।

वनाम

1. सुरेश पुत्र श्री रामजीलाल जाति किरार निवासी ग्राम किरारपुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर। ..... रेस्पोंडेंट ।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा दिनांक 25.06.2016 प्र.संख्या 45/16 उनवानी सुरेश वनाम प्रभू।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री सत्यप्रकाश कौशिक उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री निशान्त भार्गव उपस्थित

निर्णय दिनांक–13.07.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सैपऊ के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 92 ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी 554/132 रकवा 11 विस्वा वाके ग्राम किरारपुरा तहसील सैपऊ की दक्षिण दिशा में आराजी खसरा नमबर 165 स्थित है। प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने उक्त आराजी में से एक भूखण्ड विवादित आराजी की दक्षिणी दिशा से सटते हुये खसरा नम्बर 165 में से क्रय किया है एवं जिसमें अपीलाण्ट/प्रतिवादी निर्माण कार्य कर रहा है एवं उत्तर दिशा की तरफ वादी/रैस्पो0 की खातेदारी व कब्जे की आराजी में खिडकी, दरवाजा, छज्जे इत्यादि निकाल कर विवादित आराजी में रास्ता कायम करना चाहता है। अतः प्रतिवादी/अपीलाण्ट को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किये जाने का निवेदन

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

भू-प्रबन्ध अधिकारी
कैम्प-धौलपुर
भरतपुर

किया। अधीनरथ न्यायालय ने उक्त वाद, वाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनरथ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यो को दौहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। अधीनरथ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया एवं पत्रावली सीधे राजस्व लोक अदालत में ले जाकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। अधीनरथ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत के लिये अपीलाण्ट को कोई सम्मन जारी नहीं किये गये एवं तहसीलदार की गलत रिर्पोट के आधार पर बिना साक्ष्य विधि विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया। अपीलाण्ट ने अपना मकान खसरा संख्या 165 में एवं उक्त खसरा नम्बर में रास्ते के लिये लगभग 8—10 फुट भूमि खसरा नम्बर 132 की ओर छोड कर निर्माण कार्य किया है। अपीलाण्ट ने विवादित खसरा नम्बर 132 अथवा 554/132 के किसी अंश पर ना तो अतिक्रमण किया है और ना ही इस खसरा नम्बर की ओर खुलते हुये दरवाजे, रोशनदान, छज्जे आदि निकाले हैं। यह है कि तहसीलदार की रिपोर्ट पैमाईश के अभाव में अवैध व प्रभावहीन है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनरथ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अपीलाण्ट अपने मकान की आड में रैस्पो0 की आराजी में से जबरन रास्ता कायम करने को उतारू हैं। अपीलाण्ट ने अपने मकान के खिडकी दरवाजे व छज्जे, नाली आदि रैस्पो0 की आराजी से सट कर निकाले हुये हैं। अपीलाण्ट का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय में उन्हें सुनवाई का मौका नहीं मिला झूठा व निराधार हैं अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में स्पष्ट अंकित है कि वादी व प्रतिवादी उपस्थित आयें। अतः उक्त तथ्य को तब तक गलत नहीं ठहराया जा सकता जब तक अपीलाण्ट इसे किसी दस्तावेजी साक्ष्य से गलत साबित नहीं कर देते। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि अधीनरथ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश राजस्व लोक अदालत में पारित किया गया है। परन्तु अधीनरथ न्यायालय की पत्रावली पर पक्षकारो के मध्य हुये राजीनामा/समझौता का दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा अधीनरथ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 16.06.2016 को दावा वाद जॉच कार्यालय में पेश हुआ है एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने के आदेश देते हुये अग्रिम पेशी दिनांक 25.06.2016 नियत की गयी है। परन्तु अधीनरथ न्यायालय की पत्रावली पर अपीलाण्ट के तामील शुदा सम्मन उपलब्ध नहीं है एवं ना ही आदेशिका पर ही अपीलाण्ट की उपरिथति के

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

हस्ताक्षर अंकित है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने के कारण, इस प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निश्चित सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सैपऊ के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2016 अपास्त किये जाते हैं एवं प्रकरण उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये एवं आवश्यकता होने पर विवादित आराजी की उभयपक्ष की उपस्थिति में पैमाईश कराते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.08.2023 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 13.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर